

राजस्थान सरकार

पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(5)योजना/बजट घोषणा/नवीन उपकेन्द्र/2015-16/एफ.वी.1 दिनांक:-

निदेशक

पशुपालन विभाग,

जयपुर।

विषय:- नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के संबंध में।

संदर्भ:- बजट घोषणा 2015-16 के बिन्दु संख्या 87 एवं शासकीय स्वीकृति क्रमांक एफ.वी.1 (1) (1) योजना/बजट घोषणा/2015-16/2106-2111 दिनांक 22.06.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा 2015-16 के बिन्दु संख्या 87 की अनुपालना में 600 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में खोला जाना है। इस संबंध में निम्नलिखित 01 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत	नवीन उपकेन्द्र स्थापना हेतु स्थान
1	बांरा	अन्ता	कोटडी सूंडा	कोटडी सूंडा

उक्त स्वीकृति पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने के मापदण्ड निर्धारण हेतु शासन के पत्र क्रमांक एफ.वी.13(13)(1) पपावि/योजना/पुर्नगठन/12-13/1615-18 दिनांक 20.02.13 के अनुसार शर्तें पूर्ण करने एवं एवं वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101502127 दिनांक 03.06.2015 की अनुपालना में जारी की जाती है।

उक्त स्थान पर नवसृजित उपकेन्द्र के उपयोग हेतु राजकीय भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन की नि:शुल्क सुविधा स्थानीय निकाय/संस्थाओं/जनप्रतिनिधियों/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।


(एन.एल. गुप्ता)

शासन उप सचिव

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(5) योजना/बजट घोषणा/नवीन उपकेन्द्र/2015-16/5662-5661 दिनांक:-24/6/2015
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान द्वारा आवासीय सहायक अंकेक्षण अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक:- एफ.वी.1(2)(5)योजना/बजट घोषणा/नवीन उपकेन्द्र/2015-16 5102-5121 दिनांक:- 24/2/20

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय पशुपालन।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय पशुपालन।
3. अतिरिक्त निदेशक उत्पादन/स्वास्थ्य/फार्म एवं सम्पदा/दवा प्रकोष्ठ/मोनिटरिंग निदेशालय पशुपालन विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र, कोटा पशुपालन विभाग।
5. संयुक्त निदेशक, बारा को प्रेषित कर, सुनिश्चित कर ले की उक्त केन्द्रों से संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी भी ग्राम में पूर्व से कोई विभागीय संस्था स्वीकृत नहीं है।
6. संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी निदेशालय पशुपालन विभाग।
7. उप निदेशक, विस्तार पशुपालन विभाग।
8. उप निदेशक, एसीपी निदेशालय पशुपालन विभाग को भेजकर लेख है, कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
9. प्रभारी संस्थापन अ, ब-1,2 स-1,2 संख्याबल, सामान्य।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (योजना)